

05/02/25

वकुलाय उपस्थित/ मिसल मूल अपील के साथ पेश हुई/ मूल अपील में निर्णय हो जाने से अब इस प्रार्थना पत्र पर कोई कार्य नहीं शेष नहीं रही है। अतः प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल अपील के संलग्न रखी जावे।

जिला कलेक्टर; बून्दी